

>

Title: Introduction of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of section 20 A, etc.).

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. "

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
